फाइल नं0-71-3099/98/2020-03

47/2025/I/921357/2025

प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,

उप सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांकः 28 मार्च, 2025**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, गाजीपुर के निर्माण कार्य हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/निर्माण/2024-25/565, दिनांक 19.03.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, गाजीपुर के निर्माण कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, गाजीपुर के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या- 38/2018/906/71-3-2018-एन0एम0-2/2018, दिनांक 14.11.2018 द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 22043.36 लाख (रू0 दो अरब बीस करोड तैंतालिस लाख छत्तीस हजार मात्र)+ जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी। प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु विभिन्न शासनादेशों द्वारा कुल रू0 188.85 करोड की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

क्र0	**शासनादेश संख्या व दिनांक**	**धनराशि (रू0 करोड में)**
1	संख्या-38/2018/906/71-3-2018-एन0एम0-02/2018,दिनांक 14.11.2018	50.00 (केन्द्रांश)
2	संख्या-87/2019/1279/71-3-2019-एन0एम0-02/2018,दिनांक 16.11.2019	38.00 (केन्द्रांश)
3	संख्या-57/2020/997/71-3-2020-एन0एम0-02/2018,दिनांक 24.09.2020	20.00 (राज्यांश)
4	संख्या-90/2020/1436/71-3-2020-एन0एम0-02/2018,दिनांक 30.12.2020	20.00 (केन्द्रांश)
5	संख्या-31/2021/304/71-3-2021-एन0एम0-02/2018,दिनांक 24.02.2021	37.00 (14.00 करोड़ केन्द्रांश तथा 23 करोड़ राज्यांश)
6	संख्या-100/2021/ई-1763124/71-03-2021-एन0एम0-02/2018, दिनांक 16.08.2021	23.85 (केन्द्रांश)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7	संख्या-107/2022/ई-198204/2022-71-3099/98/2020-03, दिनांक 03.08.2022	20.00 (राज्यांश)
	योग-	**208.85**

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, गाजीपुर के निर्माण कार्य हेतु केन्द्रांश के रूप में रू0 1.50 करोड़ तथा राज्यांश के रूप में रू0 7.4336 करोड़, इस प्रकार कुल **रू0 8.9336 करोड़ (रू0 आठ करोड़ तिरानबे लाख छत्तीस हजार मात्र)** निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231 /2024, दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते/डाकघर में नही रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
3. प्रधानाचार्य संतुष्ट हो लेंगे कि अवमुक्त की जा रही धनराशि की वित्तीय स्वीकृति पूर्व में निर्गत नहीं की गयी है तथा धनराशि का आहरण इसके पूर्व नहीं किया गया है।
4. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गई है।
5. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियाँ तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत पूर्ण कराये जाने की जिम्मेदारी महानिदेशक/प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
6. प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत धनराशि का उपयोग योजना में दिये गये प्रयोजन पर किया जाएगा। उक्त के साथ ही भारत सरकार की प्रश्नगत योजना की गाइडलाइन/दिशा-निर्देशों में दी गयी शर्तों/प्रतिबंधों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा।
7. प्रधानाचार्य प्रश्नगत परियोजना के कार्य पूर्ण होने तथा उसकी गुणवत्ता से स्वंय संतुष्ट हो लेंगे।
8. प्रश्नगत प्रकरण में अवमुक्त की जा रही केन्द्रांश/राज्यांश की धनराशि के आंकलन/शुद्धता से प्रधानाचार्य स्वंय संतुष्ट हो लेंगे।
9. शासनादेश संख्या-38/2018/906/71-3-2018-एन0एम0-2/2018, दिनांक 14.11.2018 में उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 1,50,00,000 (रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031050107 मेडिकल कालेज, गाजीपुर (के060/रा040-के0) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य (*2*) रुपये 7,43,36,000 (रुपये सात करोड़ तैंतालीस लाख छत्तीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031058907 मेडिकल कालेज, गाजीपुर **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-3-527/दस-2024-25, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या/तददिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, गाजीपुर।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0 प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, गाजीपुर।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. कोषाधिकारी, गाजीपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, गोमती नगर, लखनऊ।
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।